प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 01/2024 आर.टी.आई. (GCMS/2024/10)
दायर दिनांक - 31.01.2024
निर्णय दिनांक - 13.02.2024

श्री भंवरलाल पिता जगन्नाथ खटीक, निवासी राजकीय अस्पताल के पास, गांव डूंगरी, पोस्ट हिंगोनिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री भंवरलाल पिता जगन्नाथ खटीक, निवासी राजकीय अस्पताल के पास, गांव डूंगरी, पोस्ट हिंगोनिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 24.01.2024 को कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को जरिये आर. टी. आई. पोर्टल प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं/जवाब अधुरा होने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 01 दिनांक 31.01.2024 से श्री भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 05.02.2024 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा 27 जून 2022 को बलकर्मी हेतु सरकार द्वारा आवंटित बंजर भूमि आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र जरिये ई-मेल इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र पर इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 2984 दिनांक 17.08.2022 को संभाग के सभी जिला कलक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी आवेदक द्वारा संभाग के समस्त जिला कलक्टर को संबोधित एक स्मरण पत्र दिनांक 17.11.2023 इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया, जिसे इस कार्यालय द्वारा जरिये ईमेल से संभाग के समस्त जिला कलक्टर को 13.12.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2023 को प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही के संबंध में कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी से ऑनलाईन आरटीआई का आवेदन क्रमांक 309022125482786 दिनांक 15.12.2023 प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। इस कार्यालय द्वारा आवेदन दिनांक 15.12.2023 पर वांछित सूचना 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ऑनलाईन जावक क्रमांक 9003330406 से अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 12.01.2024 को अवगत कराया गया। उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा आप न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिन्दुओं पर अपीलार्थी द्वारा अपना असंतोष जाहिर किया। बिन्दु संख्या 1 में उनके द्वारा स्मरण पत्र दिनांक 17.11.2023 पर जो ईमेल प्रेषित किया गया, उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई। बिन्दु संख्या 2 में उक्त

पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने से अंसतोष जाहिर किया और बिन्दु संख्या 3 में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधूरा बताया गया। उक्त आक्षेपों के संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी आवेदक का प्रमुख अनुतोष भूमि आंवटन से संबंधित है। वांछित अनुतोष प्राप्ति हेतु अपीलार्थी आवेदक द्वारा संभाग के समस्त जिला कलक्टरों को संबोधित पत्र एवं स्मरण पत्र लिखे, इस कार्यालय को उक्त पत्रों की प्रतियां पृष्ठांकित की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्व नियमावली के विभिन्न अधिनियम/नियमों के तहत भूमि आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है। उक्त प्रावधानों के अनुसार आवंटन अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त होने से इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र निर्धारित समयावधि में उक्तानुसार जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये, जिसकी सूचना अपीलार्थी आवेदक को उपलब्ध करा दी गईं। हस्तगत प्रकरण में आवेदक अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष के संबंध में इस कार्यालय स्तर पर कार्यवाही संपादित की जा चुकी है। इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 06.02.2024 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया जरिये ईमेल दिनांक 07.02.2024 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संभागीय आयुक्त, कार्यालय, उदयपुर के द्वारा दिनांक 13.12.2023 को अपेक्षित सूचना के संबंध में मेरे द्वारा चाही गई जानकारी में ई-मेल पर प्रेषित प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया है। उक्त सूचना में भेजे गए पत्र में पत्र क्रमांक व दिनांक पूर्ण पत्र का विवरण अंकित नही किया गया था, जिसके कारण अपीलार्थी ने पूर्ण जानकारी चाहने हेतु अपील दााखिल की थी। उक्त अपील का जवाब दिनांक 05.02.2024 को द्वारा ई-मेल प्राप्त हुआ। परंतु प्रथम अपील में चाहा गया पूर्ण विवरण का उल्लेख प्रथम अपील के जवाब में अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किया गया। जिसके कारण प्रथम अपील में दिया गया जवाब असंतोषजनक व असंतुष्ट है। अतः श्रीमान से अनुरोघ है कि मेरे प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करे व आपके द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही से अपीलार्थी को भी अवगत करवाए आपकी अति कृपा होगी।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2012 को बलकर्मी हेतु सरकार द्वारा आवंटित बंजर भूमि हेतु एक प्रार्थना पत्र जरिये ई-मेल से लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक 2984 दिनांक 17.08.2022 को संभाग के सभी जिला कलक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी आवेदक द्वारा संभाग के समस्त जिला कलक्टर को संबोधित एक स्मरण पत्र दिनांक 17.11.2023 इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया, जिसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये ईमेल से संभाग के समस्त जिला कलक्टर को 13.12.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2023 को प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही के संबंध में कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी से ऑनलाईन आरटीआई का आवेदन क्रमांक 309022125482786 दिनांक 15.12.2023 प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। लोक सूचना द्वारा आवेदन दिनांक 15.12.2023 पर वांछित सूचना 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ऑनलाईन जावक क्रमांक 9003330406 से अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 12.01.2024 को अवगत कराया गया। उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिन्दुओं पर अपीलार्थी द्वारा अपना असंतोष जाहिर किया। बिन्दु संख्या 1 में उनके द्वारा स्मरण पत्र दिनांक 17.11.2023 पर जो ईमेल प्रेषित किया गया, उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई। बिन्दु संख्या 2 में उक्त पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने से अंसतोष जाहिर किया और बिन्दु संख्या 3 में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधूरा बताया गया।

अपीलार्थी के उक्त आक्षेपों के संबंध में अपीलार्थी आवेदक का प्रमुख अनुतोष भूमि आंवटन से संबंधित है। वांछित अनुतोष प्राप्ति हेतु अपीलार्थी आवेदक द्वारा संभाग के समस्त जिला कलक्टरों को संबोधित पत्र एवं स्मरण पत्र लिखे, इस कार्यालय/लोक सूचना अधिकारी को उक्त पत्रों की प्रतियां पृष्ठांकित की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्व नियमावली के विभिन्न अधिनियम/नियमों के तहत भूमि आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है। उक्त प्रावधानों के अनुसार आवंटन अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त होने से इस कार्यालय/लोक सूचना अधिकारी को पृष्ठांकित पत्र निर्धारित समयावधि में उक्तानुसार जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये, जिसकी सूचना अपीलार्थी आवेदक को उपलब्ध करा दी गईं। हस्तगत प्रकरण में आवेदक अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष के संबंध में इस कार्यालय स्तर पर कार्यवाही संपादित की जा चुकी है। इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। सहाययक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 13.06.2023 से अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 11.04.2023 में वांछित सूचना 1 पृष्ठ में सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने कारण निःशुल्क भी प्रेषित की गई।

यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दुसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया। लेख है कि अधिनियम के तहत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी लोक प्राधिकरण विशेष से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है। हस्तगत प्रकरण में आवेदन, जवाब एवं प्रत्युत्तर के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण में वांछित सूचना राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने से सूचना का सृजन किये जाने तुल्य है, जो इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है, अतः अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है।

विधिक स्थिति यह भी है कि सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई सामग्री है जो उस लोक प्राधिकरण में पहले से उपलब्ध है। सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार प्रदान करती है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया किन्तु यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और उसे आवेदक को भेजे। इसके साथ ही सामग्री उसी रूप में भेजे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है। सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2023 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
2. श्री भंवरलाल पिता जगन्नाथ खटीक, निवासी राजकीय अस्पताल के पास, गांव डूंगरी, पोस्ट हिंगोनिया, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर (राज.)

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर